

श्री गंगानगर (प्रशासन) कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर (प्रशा.)

प्रस्तुत अधील के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील रायसिंहनगर के चक 9 पीएस का मू० नं० 58 कि० नं० 1 से 25 मय खाला में से 1/4 हिस्सा अर्थात् 1.581 है० व इसी चक का मू० नं० 53 का कि० नं० 11 ता 25 में 3.163 है० कृषि भूमि मुताबिक जमाबंदी अधीनात्स की सास एवं दादी श्रीमती भगवानीबाई पत्नी स्व० श्री केशरदास के नाम दर्ज रिकार्ड थी। चक 9 पीएस का प० नं० 183/281 मू० नं० 58 के कि० नं० 1 से 25 बीघा भूमि के संबंध में एक विमानन का बाद उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचारधीन है। अधीनात्स नं० 1 व 2 की मूल्य दिनांक 18-3-12 को ही चुकी है।

दिनांक : 29-09-15

आदेश

- उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, अधीनात्स।
 2. श्री हरजीतसिंह जौली, अधिवक्ता, रेस्यो नं० 1 से 4
 3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्यो नं० 5

अधिल विरुद्ध इंतकालसं० 398 दिनांक 22.05.2012 तहसीलदार (मू०आमि०), रायसिंहनगर।

रेस्योइन्स

1. लीजी बाई पत्नी श्री मदन लाल पुत्री स्व० श्री केशरदास जाति अरोड़ा निवासी 505 अग्रसेन नगर, श्री गंगानगर।
2. मीनाकृमारी पत्नी श्री कृष्ण लाल मुत्तनजा पुत्री स्व० श्री केशरदास जाति अरोड़ा निवासी नई धान मण्डी, घड़साना
3. रानी देवी पत्नी श्री बन्धुप्रकाश पुत्री स्व० श्री केशरदास जाति अरोड़ा निवासी चक 9 पीएस तह० रायसिंहनगर।
4. कर्मम पत्नी श्री दर्शन लाल पुत्री स्व० श्री केशरदास जाति अरोड़ा निवासी चक 9 पीएस तह० रायसिंहनगर।
5. स्टेट आफ राज० जारिय तहसीलदार रायसिंहनगर।

बनाम

— अधीनात्स।

1. लीनाकृमारी धर्मपत्नी स्व० श्री इन्द्रप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी मू० कालौनी, एस एस बी सैन रोड, श्री गंगानगर।
2. जितेन्द्र लनजा
3. अमित लनजा पितरान स्व० श्री इन्द्रप्रकाश जाति अरोड़ा निवासी मू० कालौनी, एस एस बी सैन रोड, श्री गंगानगर।

अधिल इंतकाल प्रकरण सं० 22/12

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
 पीठाधीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर०ए०ए०ए०



(प्रमाण) (प्रमाण)
 (प्रमाण) (प्रमाण)

श्रीमती भगवती बाई के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज वारिसान उनके तीन पुत्र दर्शन लाल, चन्द्रप्रकाश एवं दो पुत्रियाँ लीली बाई एवं मीनाकुमारी हैं। उक्त वारिसान में से इन्द्रप्रकाश का देहान्त हो चुका है। श्रीमती भगवती बाई द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयत नहीं की गई है। रेस्पॉडेंट सं० 1 से 4 ने दर्शन लाल व चन्द्रप्रकाश के साथ दृष्टिसंधि कर, आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए श्रीमती भगवती बाई की फर्जी वसीयत तैयार कर ली और उक्त वसीयत के आधार पर श्रीमती भगवती बाई के देहान्त के बाद उपरोक्त वर्णित अधीनस्थान कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर इतकाल दर्ज करवाने का आवदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों सही किए जाँच किए एवं राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए आवदन स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसकी पालना में अधीनस्थ इतकाल स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ इतकाल एकपक्षीय पारित किया गया है। वसीयत कर स्टाम्प श्रीकरणापुर से लिया गया है जबकि वसीयत रायसिंहनगर में

अधीनस्थ न्यायालय का वाद उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के बीच भूमि के संबंध में एक विभाजन का वाद उप जिलाधीश, रायसिंहनगर के

अधीनस्थ न्यायालय का रिपोर्ट दर्ज रजिस्ट्रार की गई। रेस्पॉडेंट को जरूर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ इतकाल निरस्त करमाया जावे। कस की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधीन नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ इतकाल स्वीकृत करने से पूर्व लैण्ड रिपोर्ट अमल दरमाद करने का आदेश भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अधीनस्थ वसीयत के आधार पर इतकाल स्वीकृत करने एवं राजस्व रेकार्ड में श्रीकरणापुर से लिया गया है जबकि वसीयत रायसिंहनगर में लिखी गई है। सूनवाड़े का अवसर दिये एकपक्षीय पारित किया गया है। वसीयत कर स्टाम्प इतकाल स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ इतकाल बिना नोटिस दिये एवं बिना आवदन स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसकी पालना में अधीनस्थ की जाँच किए एवं राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए करवाने का आवदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों सही उपरोक्त वर्णित अधीनस्थान कृषि भूमि का वसीयत के आधार पर इतकाल दर्ज ली और उक्त वसीयत के आधार पर श्रीमती भगवती बाई के देहान्त के बाद आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए श्रीमती भगवती बाई की फर्जी वसीयत तैयार कर रेस्पॉडेंट सं० 1 से 4 ने दर्शन लाल व चन्द्रप्रकाश के साथ दृष्टिसंधि कर, ही भगवती बाई अपने जीवन के अन्तिम पूर्व वसीयत करने में सक्षम थी। भगवती बाई द्वारा अपने जीवनकाल में कभी कोई वसीयत नहीं की गई है। ना मीनाकुमारी हैं। उक्त वारिसान में से इन्द्रप्रकाश का देहान्त हो चुका है। श्रीमती वारिसान उनके तीन पुत्र दर्शन लाल, चन्द्रप्रकाश एवं दो पुत्रियाँ लीली बाई एवं श्रीमती भगवती बाई के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जायज



अधीनस्थ (अ.अ.)
अधीनस्थ (अ.अ.)
अधीनस्थ (अ.अ.)

पारित आदेश दिनांक 4-5-12 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ करने में विधिक त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के प्रकरण में वसीयत के तथ्य को ध्यान में नहीं रखने के कारण अधीनस्थ इंतकाल स्वीकृत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों की सुनवाई न करने, अपूर्ण उतराधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, इन्सुफफिशियन्स का देहान्त हो जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विधिक साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मगवानी बाई के वारिस गया है। अधीनस्थ इंतकाल स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ को सुनवाई एवं 4-5-12 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 22-5-12 को स्वीकार किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के प्रकरण में दिनांक आधार पर खोला जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22-5-12 को स्वीकार अवलोकन से पता गया कि अधीनस्थ इंतकाल अपूर्ण वसीयत के के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अधीनस्थ स्वीकार किए जाने योग्य है। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा है। अतः अधीनस्थ स्वीकार की जावे।

4-5-12 है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की तमाम कार्यवाही विधिसम्मत नहीं के शपथ पत्र प्राप्त किए गए हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4-5-12 को तारीख पेशी साक्ष्य हेतु रखी गई थी जबकि दिनांक 4-5-12 से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका के अन्वय 3-5-12 से उपवाया है। आमजन को अखबार के माध्यम से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अखबार में गलत अधीनस्थ के अधिवक्ता ने उक्त बहस के जवाब में कहा है कि अधीनस्थ तमाम कार्यवाही विधिसम्मत की गई है। अतः अधीनस्थ स्वीकार की जावे।

में आपत्ति बाबत सूचना अखबार में प्रकाशित करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के संबंध किया गया है - अधीनस्थ को निरस्त करने के लिए सक्षम सिविल अधीनस्थ इंतकाल वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार के अन्तर्गत अधीनस्थ का अधिकार मा 10 संसानीय आयुक्त, बीकानेर को है। अधीनस्थ इंतकाल स्वीकार किया है इसलिए धारा 135(2) में राजस्व अधिनियम अधिकार नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत देखादेखे के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि प्रस्तुत अधीनस्थ को सुनने का करमाया जावे।

निवेदन किया है कि अधीनस्थ स्वीकार की जाकर अधीनस्थ इंतकाल निरस्त स्वीकृत करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड क्लस की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार भी जे 2009 पृष्ठ 312 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। अधीनस्थ इंतकाल प्राधान्य के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरमद करने का आदेश भी राजस्व अधिनियम के लिखी गई है। अधीनस्थ वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने एवं



श्री. वि. कलक्टर (प्रशासन)

श्रीगंगानगर (राज.)

4/17

न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। अतः उसी कम में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः जाँच, सभी संबंधित पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने एवं अपूर्ण वसीयत के तथ्य को दृष्टिगत रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रार्थित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अधीनस्थ आदेशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रार्थित किया जाता है कि सभी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपूर्ण वसीयत को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2015 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रेकार्ड के साथ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 29-09-15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति. वि. कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 09/10/15

